

संख्या 36022/1/2007-स्थापना (आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च, 2007

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव।

विषय:- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों के दावों का सत्यापन।

महोदय,

इस विभाग की जानकारी में यह बात लायी गई है कि कुछ व्यक्ति झूठे/नकली जाति/समुदाय प्रमाण-पत्रों के आधार पर सरकार के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। यह एक गंभीर मामला है जिसको केवल राज्य-सरकारों के सहयोग से ही नियंत्रित किया जा सकता है।

2. इस विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार, नियुक्ति प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों की प्रारंभिक नियुक्ति के समय उनकी जातीय स्थिति का सत्यापन करें। तदनुसार, अ.ज./अ.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर प्रारंभिक नियुक्ति करते समय संबंधित प्राधिकारी, उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए गए जाति/समुदाय प्रमाण-पत्र की वैधता सत्यापित करने का संबंधित जिला प्राधिकारी से अनुरोध करता है। कई बार, जिला प्राधिकारी इस कार्य में अनुचित रूप से लम्बा समय लगा देते हैं। जहां समय-सीमा के भीतर सत्यापन पूरा नहीं हो पाता, उम्मीदवार को उनकी जातीय स्थिति का सत्यापन लंबित रहने पर भी अनंतिम आधार पर नियुक्त कर दिया जाता है। जिला प्राधिकारी से समुचित उत्तर के अभाव में ऐसे कुछ उम्मीदवार झूठे/नकली प्रमाण-पत्रों के आधार पर पद पर कार्य करते रहते हैं। कुछ उम्मीदवारों द्वारा जिला स्तर पर बेइमान कर्मचारियों से साठ-गांठ के अवसरों को भी नहीं नकारा जा सकता।

....2/-